<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर।</u>

CNR No.– UPSP040246792026

राज्य बनाम अजय।

मुकदमा अपराध संख्या– 235/2025
धारा– 352 बीएनएस
थाना–चिलकाना, जिला सहारनपुर

<u>08.04.2026</u>

प्रार्थी /अभियुक्त **अजय** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र, मुकदमा अपराध संख्या– 235/2025, धारा– 352 बीएनएस, थाना– चिलकाना, जिला सहारनपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को झूठा अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी ने कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी ने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध कर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गई है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामले में न्यायालय में आरोप–पत्र प्राप्त हो चुका है। उल्लिखित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/ अभियुक्त **अजय** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 20 हजार रूपये का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(विरेश कुमार सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय
सहारनपुर।
JO Code– UP3563